संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 151 /वि.स./2023 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28/02/2023

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
   अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
2. **प्रबंध संचालक,**
   अपेक्स बैंक,
   नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
3. **प्रबंध संचालक,**
   छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
   अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
4. क्षेत्रीय महाप्रबंधक
   भारतीय खाद्य निगम,
   रायपुर (छ.ग.)

विषय- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 417 अतारांकित द्वारा श्री अजय चन्द्राकर सदस्य विधानसभा ।

कृपया विभाग से प्राप्त प्रश्न क्रमांक 417 अतारांकित निम्नानुसार है :-

(क) खरीफ वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पुल में कितनी मात्रा में चावल लेने का लक्ष्य रखा गया था? लक्ष्य में से राज्य सरकार द्वारा उपार्जित कितनी मात्रा में धान का निराकरण कराया गया और केन्द्रीय पूल में कितनी मात्रा में जमा किया गया? उन निराकृत धान समर्थन मूल्य के आधार पर कितनी राशि का होता है और राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अतिरिक्त बोनस की राशि कितनी होती है? तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के दौरान मण्डी टैक्स, सूखत, सोसायटी कमीशन, कस्टम मिलिंग, संग्रहण केन्द्रों का भण्डार चार्ज, उसना (boiled) चार्ज, परिवहन चार्ज प्रति क्विंटल कितनी-कितनी राशि, किस दर पर दी जाती है? केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का अलग-अलग बतायें? केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला चार्ज एवं समर्थन मूल्य मिलाकर प्रति क्विंटल धान की दर कितनी होती है? केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का खरीफ वर्ष अनुसार अलग-अलग बतायें?

(ख) राज्य पूल हेतु उक्त खरीफ वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में चावल की आवश्यकता थी और उस चावल की आपूर्ति हेतु कितनी मात्रा में उपार्जित धान का निराकरण किया गया?

कृपया उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के उत्तर पूरक जानकारी सहित दिनांक 02.03.2023 तक ई-मेल के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें । उत्तर के परिशिष्ट एक-पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई-मेल (directorateoffood@gmail.com) के माध्यम से परिशिष्टों की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें । निर्धारित समय-सीमा में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होने पर संबंधित खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी । विधानसभा से प्राप्त प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट सहित "यूनिकोड फॉन्ट" में टाइप कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें । (विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, रायपुर

पृ.क्रमांक 152 /वि.स./2023 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28/02/2023

प्रतिलिपि :-

अवर सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर ।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, रायपुर